



10.7.24


वकील वादी द्वारा सम्मान प्रस्तुत करने पर
नोटिस जारी होवे। पत्रावली वास्तव में
दाखिल रिपोर्ट दि. 7.8.24 को पेश होवे।


SDO

07.08.2024

नाम

7/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी प्रकरण में न्यायालय की
आव तक की कार्यवाही से संतुष्ट हैं एवं
आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील
वादी ने नोट-प्रेस करने का निवेदन
किया। वकील वादी द्वारा नोट-प्रेस
किये जाने के आधार पर वाद
शुद्धि किया जाता है। पत्रावली
फॉर्मल शुमार होकर बाद तकमील
दाखिल दफतर होवे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा